

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क्र. :- 249 / 2014)

(संस्थित दिनांक :- 03 / 04 / 14)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर।

जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

01. मुन्नालाल श्रीवास पुत्र ग्यासीराम उम्र 48 वर्ष।

निवासी :- जैन मंदिर रोड़ सिहोनिया, जिला-मुरैना, म.प्र.।

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक :- 29 / 06 / 2017 को घोषित)

01. आरोपी मुन्नालाल पर धारा :- 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक : 08 / 03 / 2014 को सुबह लगभग 10:00 बजे भिण्ड-ग्वालियर हाईवे हरीराम की कुईया मालनपुर लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन स्विफ्ट क्रमांक एम.पी.06 / सी.ए. / 4020 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी हरी सिंह की मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07 / एम.जी. / 6874 में टक्कर मारकर फरियादी हरी सिंह को उपहति एवं भारत को अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना निर्विवादित एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 08 / 03 / 2014 को सुबह लगभग 10:00 बजे भिण्ड-ग्वालियर हाईवे हरीराम की कुईया मालनपुर लोकमार्ग पर, वाहन स्विफ्ट क्रमांक एम.पी.06 / सी.ए. / 4020 के चालक द्वारा फरियादी हरी सिंह की मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07 / एम.जी. / 6874 में टक्कर मारकर मारकर उसे एवं भारत को उपहति कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी हरी सिंह द्वारा उसी दिनांक थाना मालनपुर पर की जाने पर, थाना मालनपुर में वाहन स्विफ्ट क्रमांक एम.पी.06 / सी.ए. / 4020 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 59 / 2014 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहत भारत के एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने से आरोपी के विरुद्ध धारा 338 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया गया। आरोपी मुन्नालाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी मुन्नालाल द्वारा वाहन स्विफ्ट क्रमांक एम.पी.06 / सी.ए. / 4020 मय दस्तावेज की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत करने पर जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। जब्तशुदा वाहन के पंजीकृत स्वामी गिराज का प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया। फरियादी हरी सिंह, आहत भारत सिंह एवं साक्षी रामलखन के कथन लेखबद्ध किए

गये। तदोपरांत विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त मुन्नालाल के विरुद्ध धारा 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपी एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 337 एवं 338 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी मुन्नालाल ने दिनांक :- 08/03/2014 को सुबह लगभग 10:00 बजे भिण्ड-ग्वालियर हाईवे हरीराम की कुईया मालनपुर लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन स्विफ्ट क्रमांक एम.पी.06/सी.ए./4020 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

06. फरियादी हरी सिंह अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 29/06/2017 से करीबन ढाई वर्ष पूर्व की होकर सुबह 10-10:30 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि उस समय वह अपनी मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.जी./6874 से गोदरेज फैंक्ट्री मालनपुर जा रहा था, उसके साथ मेरी मोटर साईकिल पर उसका भाई भारत सिंह बैठा हुआ था, तभी वह हरीराम की कुईया के पास पहुँचे, तभी भिण्ड की तरफ से एक कार ने आकर उनकी मोटर साईकिल में टक्कर मार दी, जिससे वह एवं उसका भाई गिर गये, जिससे उन लोगों को चोटें आई थी। इस वावत् उसके द्वारा थाना मालनपुर में रिपोर्ट की गई, रिपोर्ट प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका ईलाज कराया था। पुलिस ने इस संबंध में उसके पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी हरी सिंह अ.सा.01 ने आरोपी मुन्नालाल द्वारा दिनांक :- 08/03/2014 को सुबह लगभग 10:00 बजे भिण्ड-ग्वालियर हाईवे हरीराम की कुईया मालनपुर लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन स्विफ्ट क्रमांक एम.पी.06/सी.ए./4020 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी हरी सिंह अ.सा.01 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा थाना मालनपुर में लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 एवं पुलिस कथन प्र.पी.04 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभास की प्रकृति के हैं।

07. आहत/साक्षी भारत सिंह अ.सा.03 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपी मुन्नालाल द्वारा दिनांक :- 08/03/2014 को

सुबह लगभग 10:00 बजे भिण्ड-ग्वालियर हाईवे हरीराम की कुईया मालनपुर लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन स्विफ्ट क्रमांक एम.पी.06/सी.ए./4020 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

08. आरोपी तथा फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी हरी सिंह अ.सा.01 एवं आहत भारत सिंह अ.सा.02 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

09. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी मुन्नालाल ने दिनांक :- 08/03/2014 को सुबह लगभग 10:00 बजे भिण्ड-ग्वालियर हाईवे हरीराम की कुईया मालनपुर लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन स्विफ्ट क्रमांक एम.पी.06/सी.ए./4020 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।

10. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी मुन्नालाल ने दिनांक :- 08/03/2014 को सुबह लगभग 10:00 बजे भिण्ड-ग्वालियर हाईवे हरीराम की कुईया मालनपुर लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन स्विफ्ट क्रमांक एम.पी.06/सी.ए./4020 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।

अंतिम निष्कर्ष

11. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी मुन्नालाल के विरुद्ध धारा 279 भा.द.सं. के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः आरोपी मुन्नालाल को धारा 279 भा.द.सं. के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

12. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया गया।

13. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन स्विफ्ट क्रमांक एम.पी.06/सी.ए./4020 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी गिराज के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी नामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

